छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा सत्र-नवम् अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2012

(फाल्गुन-23, शक संवत 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न किए जाने हेतु श्री सौरभ सिंह, सदस्य का नाम पुकारा गया। श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी घटना का उल्लेख किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा घटना पर सरकार से वक्तव्य दिए जाने एवं सी.बी.आई. जांच की घोषणा किए जाने संबंधी मांग की गई। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का पुनः आग्रह किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.04 बजे स्थगित की जाकर 11.15 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल स्थगित कर उक्त घटना से संबंधित स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न किए जाने हेतु माननीय सदस्य श्री सौरभ सिंह का नाम पुकारा गया।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 (कुल 01) प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा उत्तर दिया गया।

निरंतर नारेबाजी के बीच माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया की संबंधित स्थगन उनके द्वारा अग्राह्य कर दिया गया है।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित एवं 38 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.19 बजे स्थगित की जाकर 12.00 बजे पुनः समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री धर्मजीत सदस्य द्वारा पुनः घटना की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराए जाने की मांग की गई। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीगसढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 पटल पर रखा।

3. दिसम्बर, 2011 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार दिसम्बर, 2011 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

4. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2011 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2011 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

5. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 12 मार्च 2012 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

	वित्तीय कार्य		समय
1.	वर्ष 2011-2012 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	-	03 घंटे
2	वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय का निर्धारण किया गया है :-		
1.	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री	-	03 घंटे
2.	श्री ननकीराम कंवर, गृहमंत्री	-	03 घंटे
3.	श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्यमंत्री	-	03 घंटे
4.	श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
5.	श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री	-	02 घंटे
6.	श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
7.	श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
8.	श्री हेमचंद यादव, पंचायत मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
9.	श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री	-	02 घंटे
10.	श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री	-	02 घंटे
11.	श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री	-	02 घंटे
12.	सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री	-	02 घंटे
13.	श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री	-	02 घंटे

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2012 तथा 24 मार्च, 2012 को भी सभा की बैठक होगी। शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2012 को वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक का उपस्थापन पूर्वाह्न 11.00 बजे किया जाएगा तथा शनिवार, दिनांक 24 मार्च, 2012 को वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2012 से शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2012 तक भोजन अवकाश नहीं होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये। माननीय अध्यक्ष ने स्वतः निलंबित सदस्यों को सभा के बाहर जाने का निर्देश दिया।)

6. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि तृतीय विधान सभा के दिसम्बर, 2011 सत्र में पारित 7 विधेयकों में से सभी 7 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-30-क की अपेक्षानुसार, तृतीय विधान सभा के दिसम्बर, 2011 सत्र में पारित 7 विधेयकों में से सभी 7 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

7.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(4) श्री देवजी पटेल

(5) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

(6) श्री ताम्रध्वज साहू

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से बाहर जाने का अनुरोध किया। प्रतिपक्ष के सदस्य गर्भगृह से बाहर गये।)

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन अंतर्गत बी.एस.यू.पी. योजना में व्याप्त अनियमितता की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष), रामपुकार सिंह, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामदेव राम, टी.एस.सिंहदेव,

अमरजीत भगत, ह्दयराम राठिया, (डॉ.) शक्राजीत नायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री नंदकुमार पटेल, बोधराम कंवर, (डॉ.) श्रीमती रेणु जोगी, श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सर्वश्री महंत श्री रामसुदंर दास, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, देवेन्द्र बहादुर सिंह, परेश बागबाहरा, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, चैतराम साहू, कुलदीप सिंह जुनेजा, गुरू रुद्र कुमार, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री लेखराम साहू, गुरुमुख सिंह होरा, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, भजन सिंह निरंकारी।

10. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

11. वर्ष 2011-2012 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2011-2012 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 16 मार्च, 2012 की तिथि निर्धारित की ।

अपराह्न 12.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 14 मार्च, 2012 (फाल्गुन, 24 शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा